कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नेरट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-22.11.2024

विषय: थाना राजातालाब क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद।

थाना राजातालाब क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 21-11-2024 की रात में राजातालाब प्राथमिक विद्यालय कचनार के पास अज्ञात लोगों द्वारा श्यामलाल यादव को मार-पीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था। घायल श्यामलाल यादव को बीएचयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस सूचना पर, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन और अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जनपदीय एसओजी व स्थानीय पुलिस की टीम गठित कर सर्विलांस सेल की मदद से घटना के सफल अनावरण हेतु सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब को निर्देशित किया। मामले में थाना राजातालाब पुलिस ने मु0अ0स0 0215/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के तहत अभियोग पंजीकृत किया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु सभी संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी:

आज दिनांक 22.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. राजन यादव, पुत्र स्व0 श्यामलाल यादव, निवासी ग्राम भिखारीपुर, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी 2. दीनानाथ यादव, पुत्र स्व0 सोमारु यादव, निवासी कचनार, थाना राजातालाब, वाराणसी को राजातालाब पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर उक्त मुकदमे से संबंधित आलाकत्ल एक अदद बेसबॉल बैट और अधजले कपड़े बरामद किए गए।

पूछताछ विवरण:

अभियुक्त दीनानाथ यादव ने बताया कि उसके शौतेले पिता स्व0 श्यामलाल यादव ने पहले अमरावती से शादी की थी, जिससे राजन यादव पैदा हुआ। बाद में उन्होंने दीनानाथ की विधवा माँ सुरसती देवी से शादी की। सुरसती देवी की मृत्यु के बाद श्यामलाल ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और कुछ संपत्ति बेच दी। इसी बीच श्यामलाल का संपर्क एक तीसरी महिला से हो गया और वह भिखारीपुर और मोहन सराय की जमीन बेचने की तैयारी में थे। जब यह जानकारी दोनों भाइयों को मिली, तो उन्होंने 21-11-2024 को योजना बनाकर कचनार विद्यालय के पास बेसबॉल बैट से श्यामलाल पर हमला किया और वहाँ से भाग गए।

<u>*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:*</u>

1. राजन यादव, पुत्र स्व0 श्यामलाल यादव, निवासी ग्राम भिखारीपुर, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी, उम्र करीब 32 वर्ष।
2. दीनानाथ यादव, पुत्र स्व0 सोमारु यादव, निवासी कचनार, थाना राजातालाब, वाराणसी, उम्र करीब 38 वर्ष।

<u>*बरामदगी का विवरण:*</u>

1. 01 अदद आलाकत्ल बेसबॉल बैट।
2. अदद अधजले कपड़े।

<u>*पंजीकृत अभियोग का विवरण:*</u>

1. मु0अ0स0 0215/2024 धारा 103(1), 238(ख) बी0एन0एस0।

<u>*पुलिस टीम का विवरण:*</u>

<u>थाना राजातालाब पुलिस टीम</u>

1.प्र0नि0 अजीत कुमार वर्मा
2. उ0नि0 राजेश सिंह
3. उ0नि0 विपिन कुमार पाण्डेय
4. हे0का0 सुनील कुमार सरोज
5. हे0का0 महेन्द्र पटेल
6. हे0का0 सुरेन्द्र कुमार
7. हे0का0 हंसराज यादव
8. हे0का0 संजय शर्मा
9. हे0का0 सुनील कुमार सिंह
10.का0 अर्जुन कुमार

<u>सर्विलांस टीम</u>

1. हे0का0 संतोष पासवान
2. का0 मनीष सिंह

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन
कमिश्नरेट वाराणसी